कार्यालय प्राचार्य
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
Website – www.bcspgcdmt.com
E-mail – pgcollege.dhamtari@gmail.com

NAAC GRADE-B+	AISHE CODE- C-21763

दूरभाष – 07722-238933
फैक्स – 07722-237933

दिनांक 05/10/2024

:: इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द पुरस्कार संबंधी सूचना ::

कार्यालय कलेक्टर जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 8084/व.लि.1/2024 धमतरी ,दिनांक 04.10.2024 के परिपालन में महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं व अधिकारी/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि ''इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द पुरस्कार'' वर्ष 2024 के लिए चयन हेतु आवेदन दिनांक 15 अक्टूबर 2024 तक डॉ.तामेश्वरी साहू ,सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पास जमा कर सकते है।

विस्तृत जानकारी हेतु छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का विज्ञापन संलग्न है ,कृपया अवलोकन करे लेवें।

(डॉ.श्रीदेवी चौबे)
प्र.प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,धमतरी
जिला-धमतरी (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर धमतरी, जिला–धमतरी (छ.ग.)

Phone No.-07722,237592-232592 E mail ID- dhamtari.cg@nic.in , adhikshakrevenue.dmt@gmail.com

//ज्ञापन//

क्रमांक 8084/व.लि.1/2024 धमतरी, दिनांक 04/10/2024

363
4.10.24

प्रति,

सर्व कार्यालय प्रमुख,

प्राचार्य
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय धमतरी,

विषय :– "इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द पुरस्कार" वर्ष 2024 के लिए चयन।

संदर्भ :– अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 04–03/2024/1–5 दिनांक 23/09/2024

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर द्वारा "इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द पुरस्कार" वर्ष 2024 के लिए चयन हेतु आवेदन पत्र जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, 2024 निर्धारित की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किये गये विज्ञापन एवं नियम की छायाप्रति संलग्न है।

अतः शासन के निर्देशानुसार दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के पूर्व अनिवार्य रूप से आवदेन पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते/कलेक्टर धमतरी

पृ. क्रमांक 8085/व.लि.1/2024 धमतरी, दिनांक 04/10/2024

प्रतिलिपि,

अवर सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

03/10/24

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते/कलेक्टर धमतरी

डॉ. तामेश्वरी
4/10/24

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

कार्यालय कलेक्टर
धमतरी (छ.ग.)
21 SEP 2024
शाखा
कलेक्टर

क्रमांक एफ 04–03/2024/1–5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/09/2024

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– "इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द पुरस्कार" वर्ष 2024 के लिए चयन।

––:0:––

विषयांकित पुरस्कार के नियम की प्रति इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 10–13/2003/1/5 दिनांक 13 जून, 2003 द्वारा भेजी गई थी। सुलभ संदर्भ हेतु नियम की छायाप्रति संलग्न है। वर्ष 2024 के लिए विषयांकित पुरस्कार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किये गए विज्ञापन की प्रति भी संलग्न है, जिसमें आवेदन पत्र अपने जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, 2024 निर्धारित की गई है।

2/ पुरस्कार नियम की कंडिका–05 में प्रावधान के अनुसार आपके जिले से अधिकतम तीन–तीन का पैनल पूर्ण परीक्षण एवं प्रमाणीकरण के साथ गृह (पुलिस) विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाना है। अतः कृपया सुनिश्चित करें कि, आपके द्वारा पुरस्कार के प्रस्ताव इस प्रकार भेजें जाएं कि वे **दिनांक 28 अक्टूबर, 2024** को कार्यालयीन समय में अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर तथा सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जायें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(अंशिका ऋषि पाण्डेय)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्र. एफ 04–03/2024/1–5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/09/2024

प्रतिलिपि :–

अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय कलेक्टर धमतरी
आवक क्र. 2174 दिनांक 27/9/24
शाखा ....ब. लि. बा....
सहपत्र ....

Scanned with OKEN Scanner

प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

-:: विज्ञापन ::-

राज्य शासन द्वारा साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शासकीय सेवकों/व्यक्तियों/अशासकीय संस्थाओं से **"इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द पुरस्कार योजना"** के अंतर्गत वर्ष 2023 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र सीधे अपने जिले के कलेक्टर को 21 अक्टूबर, 2024 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

2/ शासकीय सेवकों/व्यक्तियों/अशासकीय संस्थाओं जिन्होंने राज्य स्तर पर साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक उपद्रव की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं रचनात्मक कार्य किए हैं, प्रथम पुरस्कार तथा जिन्होंने घटना स्थल या स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य एवं सेवाओं से साम्प्रदायिक सौहार्द व सद्भावना बनाने का कार्य किया हो, द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा।

3/ आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ इस क्षेत्र में किये गए कार्यों के प्रमाण सहित पूर्ण ब्यौरा अपने जिले के कलेक्टर को सौंपेंगे।

4/ देय पुरस्कार निम्नानुसार होंगे:-

शासकीय सेवकों के लिए

क्रमांक	पुरस्कार	संख्या	राशि	अभियुक्ति (रिमार्क)
1.	प्रथम पुरस्कार	01	NIL (निरंक)	पदक व प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
2	द्वितीय पुरस्कार	01	NIL (निरंक)	पदक व प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

अशासकीय संस्था या कार्यकर्ता के लिए

क्रमांक	पुरस्कार	संख्या	राशि	अभियुक्ति (रिमार्क)
1.	प्रथम पुरस्कार	01	25,000/-	पदक व प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
2	द्वितीय पुरस्कार	01	10,000/-	पदक व प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

5/ अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(अंशिका ऋषि पाण्डेय)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with OKEN Scanner

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 अप्रैल 2003—वैशाख 4, शक 1925

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-10-13/2003/1/5.—राज्य शासन "इन्दिरा गांधी सांप्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द पुरस्कार" योजना के लिए निम्नानुसार नियम बनाती है :—

1. पुरस्कार का नाम :
इस योजना का नाम "इन्दिरा गांधी सांप्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द पुरस्कार योजना" होगा.

यह योजना पूरे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2002 से लागू मानी जाएगी.

2. उद्देश्य :
यह पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में होंगे. शासकीय सेवकों, अशासकीय संस्था एवं कार्यकर्त्ता के लिए अलग-अलग दिए जाएंगे. प्रथम पुरस्कार की पात्रता उन शासकीय सेवकों या अशासकीय संस्था/कार्यकर्त्ता को होगी, जिन्होंने राज्य स्तर पर साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक उपद्रव की रोकथाम के लिए प्रभावी तथा रचनात्मक कार्य किया हो. द्वितीय पुरस्कार उन शासकीय सेवकों या अशासकीय संस्था/कार्यकर्त्ता को देय होगा, जिन्होंने घटना स्थल या स्थानीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट कार्य एवं सेवाओं से साम्प्रदायिक उपद्रव को रोकने में तथा साम्प्रदायिक सौहार्द व सद्भावना बनाने का कार्य किया हो.

3. विज्ञापन :
इस पुरस्कार हेतु राज्य के मुख्य समाचार-पत्रों में शासन की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष के सितम्बर माह में एक माह की अवधि निर्धारित कर विज्ञापन जारी किए जाएंगे. अक्टूबर माह में चयन समिति की बैठक आयोजित कर उपयुक्त व्यक्ति/संस्था/कार्यकर्त्ता का चयन

किया जाएगा तथा संबंधित जिले के कलेक्टर को उसका नाम, पदक तथा प्रशस्ति पत्र सहित राशि का आवंटन सौंपा जाएगा.

4. **क्षेत्र एवं पुरस्कार की राशि :**
यह पुरस्कार राज्य स्तरीय निम्नानुसार होंगे :—

शासकीय सेवकों के लिए

क्रमांक (1)	पुरस्कार (2)	संख्या (3)	राशि (4)	रिमार्क (5)
1.	प्रथम पुरस्कार	एक	निल	पदक व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.
2.	द्वितीय पुरस्कार	एक	निल	पदक व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.

अशासकीय संस्था या कार्यकर्ता के लिए

क्रमांक (1)	पुरस्कार (2)	संख्या (3)	राशि (रुपये में) (4)	रिमार्क (5)
1.	प्रथम पुरस्कार	एक	25,000=00	पदक व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.
2.	द्वितीय पुरस्कार	एक	10,000=00	पदक व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.

5. **चयन विधि :**

(अ) साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द् के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शासकीय सेवकों/व्यक्तियों के नाम कलेक्टर (प्रत्येक जिले से अधिकतम 03 का पैनल) गृह (पुलिस) विभाग को भेज सकेंगे. किन्तु अशासकीय व्यक्तियों के लिये कलेक्टर (प्रत्येक जिले से अधिकतम 03 का पैनल) सीधे सामान्य प्रशासन विभाग को भेज सकेंगे.

(ब) सामान्य प्रशासन विभाग तथा गृह (पुलिस) विभाग प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के पश्चात् उन्हें चयन समिति के समक्ष अपनी सिफारिश के साथ प्रस्तुत करेंगे.

6. चयन समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

(1) मुख्य सचिव - अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग. - सदस्य
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग - सदस्य

इस चयन समिति में यदि मुख्य सचिव चाहें तो किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को भी मनोनीत कर सकेंगे.

7. चयन करते समय ऐसे प्रकरणों पर विचार होगा, जिसमें किसी अशासकीय सेवक, संस्था या व्यक्ति की असाधारण बुद्धिमत्ता, सूझ-बूझ, सेवा के प्रति समर्पण निष्पक्षता और साहस के कारण साम्प्रदायिक उपद्रवों को शुरु होने के पूर्व ही दबा दिया गया अथवा शुरु होने पर इसे तत्काल नियंत्रित किया गया अथवा उसके फैलाव को रोककर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए असामान्य उपायों का अवलंबन किया गया हो.

Scanned with OKEN Scanner

8. घोषणा :
पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिवस अर्थात् 19 नवम्बर को होगी.

9. वितरण :
पुरस्कार वितरण की कार्यवाही प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Scanned with OKEN Scanner

अनुशंसित व्यक्ति/संस्था का नाम पिता के नाम सहित	शासकीय कर्मचारी अथवा अन्य	शासकीय कर्मचारी की दशा में पदनाम एवं विभाग	आयु एवं पूर्ण पता	पुरस्कार की श्रेणी प्रथम/द्वितीय	जिला घटना स्थल का नाम, तहसील एवं थाना	घटना का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

घटना का संक्षिप्त विवरण	अनुशंसित व्यक्ति का घटना के संदर्भ में योगदान, जिसके कारण उसकी अनुशंसा की गई है	अनुशंसा करने का आधार (जिलाध्यक्ष द्वारा भरा जावे) पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक द्वारा भरा जावे	जिलाध्यक्ष का मत (कारण सहित)	गृह विभाग का मत	सामान्य प्रशासन विभाग का मत	समिति का मत
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)